रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215750 CG-DL-E-27012020-215750

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] No. 355] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2020/माघ 7, 1941 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2020/MAGHA 7, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

# (आयकर)

का.आ. 387(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का. आ. 2752(अ) दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित आयकर की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-1 में

- (i) क्र. सं. 113 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;
- (ii) क्र. सं. 112 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी :-

क्र.	आयकर	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का वर्ग	मामले अथवा मामले का वर्ग
सं.	प्राधिकारियों				
	का पदनाम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
112	प्रधान	गुवाहाटी,	(क) असम राज्य में: कामरूप	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),
	आयुक्त/	असम	(नगर), कामरूप (ग्रामीण),	कारोबार अथवा व्यवसाय से आय	
	आयकर		नगांव, मोरीगांव, लखीमपुर,	से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे	प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों
	आयुक्त,		धीमाजी, सोनितपुर, दरांग,	हैं तथा स्तम्भ (1) की मद (क),	के सभी मामलों
	गुवाहाटी			(ख) तथा (ग) में उल्लिखित	(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में
			बोंगईगांव, धुब्री, बाक्सा,	प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे	तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित
			चिरंग, गोलपाड़ा, कोकराझार,	हैं;	कंपनियों में प्रबंध निदेशक

509 GI/2020 (1)

2 0		67
होगाई, साउथ सलमारा,	(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो	
मंकाचर तथा विश्वनाथ;	कारोबार अथवा व्यवसाय से आय	
(ख) अरूणाचल प्रदेश राज्य में:	प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके	नाते व्यष्टियों के सभी मामले;
पूर्वी कमेंग, पश्चिमी कमेंग,	कारोबार अथवा व्यवसाय का	
तवांग लोवर सुवांसिरी पापुम	प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद	
परे कुरूंग कुमे, पक्के के सांग का	(क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित	
दांडी तथा कामले जिले	प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हैं;	
(ग) मेघालय राज्य में:	(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के	
पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी	अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956	
गारो हिल्स, दक्षिणी गारो		
हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स तथा	के नाते व्यक्ति तथा जिनका	
दक्षिणी पश्चिमी गारो हिल्स	पंजीकृत कार्यालय अथवा	
जिले।	कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ	
	(4) की मद (क), (ख) तथा (ग) में	
	उल्लिखित क्षेत्र में है।	
	(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में	
	संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2020/फा. सं. 187/02/2020 (आ.क.नि.I)]

गुलजार अहमद वानी, अवर सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2020

## (Income-Tax)

**S.O.** 387(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of Income-tax, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, Subsection (ii) *vide* number S.O. 2752(E), dated the  $22^{nd}$  October, 2014, namely:

In the said notification, in the SCHEDULE-I,

- (i) the Sl No. 113 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) in Sl No. 112 for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted:-

112	Principal	Guwahati,	(a) In the State of	a.	Persons other than	(a) All cases of the
	Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guwahati	Assam	Assam : Districts of Kamrup (Metropolitan), Kamrup (Rural), Nagaon, Morigaon,		companies deriving income from sources other than income from business or profession and reciding within the	persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of Column (5) (b) All cases of individuals being
			Lakhimpur, Dhemaji, Sonitpur, Darrang, Udalguri, Nalbari, Barpeta, Bongaigaon, Dhubri, Baksa, Chirang, Goalpara, Kokrajhar, Hojai, South Salmara- Mankachar, and Biswanath;	b.	residing within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of Column (4); Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the	managing directors or directors or managers or secretaries in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5)

	(b) In the State of Arunachal Pradesh: Districts of East Kameng, West Kameng, Tawang, Lower Subansiri, Upper Subansiri, Papum Pare, Kurung Kumey, Pakke-Kessang, Kra Daadi and Kamle  (c) In the State of Meghalaya: Districts of East Garo Hills, West Garo Hills, South Garo Hills, North Garo Hills, and South West Garo Hills.	territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of Column (4);  c. Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a), (b) and (c) of Column (4);  d. Persons being individuals referred to in item (b) of column (6)
--	--	---

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 6/2020/F. No. 187/02/2020 (ITA. I)] GULZAR AHMAD WANI, Under Secy.